न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 63/2022

1 हंसराम पुत्र रामसहाय मृतक।
1/1 रामा देवी पत्नी हंसराम।
1/2 ओमप्रकाश पुत्र हंसराम।
1/3 मंजू कुमारी पुत्री हंसराम।
1/4 मनोज कुमारी पुत्री हंसराम समस्त जाति जाट निवासीगण श्यामपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मंदिर श्री सत्यनारायण महाराज जरिये काश्तकार प्रवन चौधरी पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 27.04.2022 द्वारा
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उनवानी प्रवन चौधरी
बनाम हंसराम आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 119/2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री रविराज सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 119/2020 में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आपके उपखण्ड में भूमि धारण कर खातेदारी भूमिधारी हूं और मेरी जोत खाता संख्या नया 79, खसरा नम्बर 238 ता 1.38 हैक्टेयर जिसमें एक विद्युत कुआं खसरा नम्बर 237 ता 0.01 हैक्टेयर बनाकर काबिज काश्त हूं तथा मंदिर श्री सत्यनारायण जी महाराज की सेवा अर्चना करता हूं जिसमें पहुंचने के प्रयोजन के लिए आवागमन का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थी उक्त प्रयोजन के कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 221 से कृषि भूमि खसरा नम्बर 526/239 ता 0.26 हैक्टेयर में से होकर रास्ता मौजूद है। इसमें प्रार्थी व इसके परिवार के सदस्य अपने मकान, कुऐं तक आते जाते है। इस प्रकार से प्रार्थी ने 12 फिट चौड़े रास्ता खोलकर दिये जाना व सबसे कम दूरी पर होने का आधार लेते हुए रास्ते की मांग की। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 526/239 के खातेदारो को जरिये नोटिस तलब किये तथा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवायी जिस पर बाद सुनवाई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान है कि इस धारा के अन्तर्गत वही पक्षकार आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जो राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज हो और उसे अपनी कृषि जोत में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता हो। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदनकर्ता ने भूमि खसरा नम्बर 238,237 में आवागमन हेतु रास्ते की मांग की है। राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 237,238 मंदिर श्री सत्यनारायणजी महाराज की खातेदारी में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में आवेदनकर्ता पवन चौधरी का कही भी नाम दर्ज नही है। ग्राम श्यामपुरा में मंदिर श्री सत्यनारायणजी महाराज के खाते में भूमि खसरा नम्बर 225 से 238, 243 से 250, 252 से 254, 266,267,298/232 कुल किता 28 कुल रकबा 24.19 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड की अनुसार अवस्थित है। मौके पर यह भूमियां सीवा जोड़ अवस्थित है। इनमें आवागमन हेतु दो रास्ते कटानी अवस्थित है। इसकी पुष्टि नक्शा सर्वे सीट से होती है। किसी भी खातेदार काश्तकार को अपनी सम्पूर्ण जोत मे दो कटानी रास्ते होने के उपरान्त प्रत्येक खसरा नम्बर का अलग–अलग रास्ता कटवाने का विधिक अधिकार नही है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर कोई गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि के राजस्व नक्शे का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 236 एवं खसरा नम्बर 250,251 में कटानी रास्ता मौजुद है। आवेदनकर्ता रेस्पोडेंट विवादित भूमि खसरा नम्बर 237,238 पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। इसकी पुष्टि तहसीलदार चिड़ावा के निर्णय दिनांक 05.08.2022 प्रकरण संख्या 40/2022 बउनवानी सरकार बनाम बिमला, प्रवन अन्तर्गत धारा 91 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2022 से होती है। इस निर्णय में तहसीलदार चिड़ावा ने वर्तमान प्रकरण के आवेदनकर्ता को खसरा नम्बर 237,238 पर अतिचारी मानते हुये बेदखली एवं सास्ती का आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही है। विचारण न्यायालय मे मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में तैयार नही की है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते की कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रिपोर्ट नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 2021(2) पेज 763, डी.एन.जे. 2021(1) पेज 681, डी.एन.जे. 2022(1) पेज 851 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व से दीप पुत्र रेखा जाट आवेदनकर्ता प्रवन चौधरी के दादा के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। भू–प्रबन्ध के दौरान बिना आवेदनकर्ता को सुने ही, बिना जवाब का अवसर दिये भूमि मंदिर के नाम दर्ज की है। खसरा गिरदावरी से आवेदनकर्ता का कब्जा काश्त साबित है। धारा 251ए के तहत मंदिर का कोई भी पुजारी/सेवादार आवेदन कर सकता है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अंकन है। मौका रिपोर्ट में लघुतम रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत नही की है। अपील के स्तर पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। मूर्ति मंदिर के 28 खसरा नम्बर है सभी को अलग–अलग काश्तकार काश्त कर रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है वरवक्त बहस रेस्पोडेंट ने फर्द के साथ दिनांक 07.10.2022 की मौके पर रास्ता खोलने की रिपोर्ट की छायाप्रति एवं गत खसरा नम्बर 144 की जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान है कि इस धारा के अन्तर्गत वही पक्षकार आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जो राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज हो और उसे अपनी कृषि जोत में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता हो। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदनकर्ता ने भूमि खसरा नम्बर 238,237 में आवागमन हेतु रास्ते की मांग की है। राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 237,238 मंदिर श्री सत्यनारायणजी महाराज की खातेदारी में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में आवेदनकर्ता पवन चौधरी का कही भी नाम दर्ज नही है। ग्राम श्यामपुरा में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मंदिर श्री सत्यनारायणजी महाराज के खाते में भूमि खसरा नम्बर 225 से 238, 243 से 250, 252 से 254, 266,267,298/232 कुल किता 28 कुल रकबा 24.19 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड की अनुसार अवस्थित है। मौके पर यह भूमियां सीवा जोड़ अवस्थित है। इनमें आवागमन हेतु दो रास्ते कटानी अवस्थित है। इसकी पुष्टि नक्शा सर्वे सीट से होती है। किसी भी खातेदार काश्तकार को अपनी सम्पूर्ण जोत में दो कटानी रास्ते होने के उपरान्त प्रत्येक खसरा नम्बर का अलग–अलग रास्ता कटवाने का विधिक अधिकार नही है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर कोई गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि के राजस्व नक्शे का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 236 एवं खसरा नम्बर 250,251 में कटानी रास्ता मौजुद है। आवेदनकर्ता रेस्पोडेंट विवादित भूमि खसरा नम्बर 237,238 पर बतौर अतिकमी काबिज है। इसकी पुष्टि तहसीलदार चिड़ावा के निर्णय दिनांक 05.08.2022 प्रकरण संख्या 40/2022 बउनवानी सरकार बनाम बिमला, प्रवन अन्तर्गत धारा 91 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2022 से होती है। इस निर्णय में तहसीलदार चिड़ावा ने वर्तमान प्रकरण के आवेदनकर्ता को खसरा नम्बर 237,238 पर अतिचारी मानते हुये बेदखली एवं सास्ती का आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विधि अनुसार आवेदनकर्ता का आवेदन ही पोषणीय नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर